न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—375 / 2015 / 223(2015 / 00118)

1. नौरत पुत्र सूरजमल उर्फ सूजा, जाति माली, निवासी रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. मोहन पुत्र सूरजमल उर्फ सूजा, जाति माली, निवासी रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. रतन पुत्र सूरजमल उर्फ सूजा, जाति माली, निवासी रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. भंवरया उर्फ भंवरलाल पुत्र धूला, जाति माली, निवासी रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. छोटू पुत्र धूला, जाति माली, नि0 रामसर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 31.7.2015 वाद संख्या 87 / 2015 .

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3 .

निर्णय

दिनांकः—16.4.2019

1. यह अपील विद्वान अपर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष खाता संख्या 1149 / 20173 के कुंल किता 34 का कुल रकबा 2.77 है0 जो कि ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद में स्थित है बाबत् धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अधी0न्याया0 ने दिनांक 31.7.2015 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्याया0 में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में प्रतिवादीगण/अपीलांटस की भूमि बाबत् राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र में अनुतोष संख्या 1 यह चाहा गया कि वादीगण को खातेदारी उद्घोषणा कर बंटवारा की आज्ञाप्ति पारित की जावे एवं अनुतोष संख्या 2 में प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर पाबंद किया जावे । इस आशय का वाद दिनांक 13.7.2015 को प्रस्तुत किया जिस पर अधी0न्याया0 ने बिना जांच रिपोर्ट करवाये एवं वादपत्र को बिना दर्ज रजिस्टर किये तथा वादपत्र के सम्मन की बिना तामील कराये ही अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादपत्र की विधि अनुसार सूचना जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को दी जानी चाहिये तथा तलबी पूर्ण होने पर जवाब दावा प्राप्त कर वाद में तनकियात कायम कर बाद साक्ष्य सुनवाई निर्णय पारित किया जाना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 उक्त विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2015 निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 825 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने विभाजन की डिक्री पारित की है । यदि अपीलांट को कोई ऐतराज थे तो अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे । बंटवारे की डिक्री में क्या त्रुटि है इस संबंध में अपीलांटस ने कोई कथन नहीं किया है । अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलाधीन भूमि के संबंध में दिनांक 31.7.2015 को वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद को दर्ज रजिस्टर किये बिना तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस को वाद के सम्मन जारी किये बिना प्रथम पेशी पर ही वादीगण/रेस्पो0 के वाद में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.7.2015 को पारित की है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद प्रस्तत किये जाने पर न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाना चाहिये तथा प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण होने पर जवाबदावा प्राप्त कर वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने में विधिक प्रक्रिया को पूर्णतया दरकिनार करते हुए प्रथम पेशी पर ही प्रतिवादीगण/अपीलांटस की तामील कराये बिना तथा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2015 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है । विद्वान

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.7.2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर